

03-09-2014 वादी क्रमांक-1 जगतसिंह द्वारा श्री देवेन्द्र गजभिये अधिवक्ता।

वादी क्रमांक-2 बिसरुसिंह द्वारा श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-1, 4 फौत।

प्रतिवादी क्रमांक-3, 4अ, 4ब, 5 एवं 6 द्वारा श्री आर.आर.पटले अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-2, 7 से 11 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रस्तावित प्रतिवादीगण द्वारा श्री रवि मेरावी अधिवक्ता।

इस आदेश द्वारा वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. क्रमशः आई.ए. नं. 5 एवं 6 का निराकरण किया जा रहा है।

वादीगण ने पृथक-पृथक आवेदन पेश कर निवेदन किया है विवाद में प्रारूपिक त्रुटि है, जिस कारण वाद में असफल होने की संभावना है। अतएव वाद पुनः नये सिरे से पेश करने की अनुमति के साथ वापस किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रतिवादीगण ने उक्त आवेदन पत्रों का मौखिक विरोध पेश किया है।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में वादप्रश्न विरचित नहीं हुए हैं तथा वाद का विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। वादीगण ने पृथक-पृथक आवेदन पेश कर प्रारूपिक त्रुटि होने के आधार पर वाद वापस किये जाने का निवेदन किया है, किन्तु वादी क्रमांक-1 ने कथित प्रारूपिक त्रुटि के कारण वाद वापसी के साथ नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं चाही है। जबकि वादी क्रमांक-2 ने कथित प्रारूपिक त्रुटि के कारण नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हुए वाद वापसी का निवेदन किया है।

प्रकरण में वादीगण ने वाद में कथित प्रारूपिक त्रुटि के संबंध में स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। वादी क्रमांक-2 ने वादी क्रमांक-1 के द्वारा पक्षविरोधी घोषित होने एवं प्रतिवादीगण से मिल जाना के कारण वाद वापसी का आधार प्रकट किया है। चूंकि दोनों ही वादीगण ने संयुक्त रूप से वाद पेश किया है, ऐसी स्थिति में वादीगण के पश्चातवर्ती दशा में कथित प्रतिकूल हित होने के आधार पर वाद में एक पक्ष को हानि उठाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वाद में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा वाद प्रारम्भिक अवस्था में है। ऐसी दशा में वाद में उक्त कारण से प्रारूपिक त्रुटि विद्यमान होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएव वाद नये सिरे से प्रस्तुति की अनुमति के साथ वाद का प्रत्याहरण किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। उपस्थित प्रतिवादीगण को वाद प्रस्तुति के परिणाम स्वरूप हुई परेशानी को देखते हुए उन्हें प्रतिकर स्वरूप परिव्यय वादीगण से दिलाया जा सकता है। अतएव वादीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. (आई0ए0 नं0 5 एवं 6) 500/-रूपये परिव्यय पर स्वीकार

किया जाता है। फलस्वरूप वादीगण को नया वाद संस्थित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दावा प्रत्याहरत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वादीगण के द्वारा वाद में प्रस्तुत मूल दस्तावेज वादीगण के विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें वापस किये जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर समयावधि के भीतर अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)